2011/00009

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 08/2011

प्रार्थी

1.बुद्धाराम पुत्र छोगाराम
2.फरसराम पुत्र छोगाराम
जाति सुथार निवासी सिवाना
तहसील,सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण

1.पर्बतसिंह पुत्र जूंहारसिंह
2.पन्नेसिंह पुत्र जूंहारसिंह
3.भीमसिंह पुत्र जूंहारसिंह
4.हडवंतयिंह पुत्र धनसिंह
5.जसवंतसिंह पुत्र तेजसिंह
6.भंवरसिंह पुत्र भोमसिंह
जाति राजपूत निवासी सिवाना
7.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 21 दिनांक 24.10.1999 जो ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी सं. 01 उपस्थित, 02 अनुपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01,.6 उपस्थित। दीगर अनुपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता उप.
3. अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 पर्बतसिंह ने अप्रार्थी संख्या 01 से 04 एंव 06 के पिता जुहारसिंह,धनसिंह एंव भोमसिंह के नाम प्रार्थना पत्र में अंकित कर सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर ग्राम पंचायत सिवाना की आबादी भूमि में आवासीय मकान पुश्तैनी एंव कब्जा सुदा 13131 वर्ग गज पर कब्जा बताते हुए भूखण्ड का पट्टा दिलवाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली संख्या 01/99 कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 एंव 06 के पिता जुहारसिंह,धनसिंह तथा भोमसिंह के पक्ष में नियम 157(1)(ख) के तहत 200/–वसूल कर दिनांक 24.10.1999 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 21 जारी कर दिया। प्रार्थीगण ने इस विक्रय विलेख पट्टा में 65X 7= 455 वर्ग फीट अपनी भूमि बताते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में गलत एंव नियम विरूद्ध पट्टा जारी होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पिता एंव 06 के पिता के पक्ष में जारी इस

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से रिकॉर्ड तलब किया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सोनी ने दिनांक 03.01.2012 को जवाब पेश कर निगरानी के पद संख्या I से VIII को गलत होने से अस्वीकार बताते हुए प्रार्थीगण की निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 06 भंवरसिंह ने दिनांक 21.03.2012 को जवाब किया। जवाब मे बताया कि वादग्रस्त भूखण्ड पर तुलछाराम पुत्र पूनमाराम के नाम से दिनांक 09.07.1964 को पट्टा जारी था अप्रार्थीगण के पिता के नाम 13131 वर्ग गज का दूसरा पट्टा दिनांक 24.10.99 को गलत जारी किया गया है। अप्रार्थी भोमसिंह का स्वर्गवास जून 1986 में गया था। जबकि पट्टा दिनांक 24.10.99 को जारी किया तब भोमसिंह जीवित नहीं थे तथा अन्य व्यक्तियो के नाम जारी पट्टा को भी फर्जी बताते हुए प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण के नाम जारी पट्टा निरस्त करने का निवेदन किया।

5. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यकम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी सं. 01 उपस्थित रहा, 02 अनुपस्थित रहा एंव अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01,06 उपस्थित रहे, दीगर अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे व अधिवक्ता उपस्थित रहे।

6. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 एंव 06 के पिता जुहारसिंह, धनसिंह एंव भोमसिंह के पक्ष में जारी पट्टा में 65X7= 455 वर्ग फीट अपनी भूमि बताते हुए को अप्रार्थी गण के पक्ष जारी पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1996 के नियम जिसमें आबादी भूमि के हस्तांतरण के नियम दिये हुए है,का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत सिवाना ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बनाये आबादी भूमि के बिकी एंव आवंटन के नियमो की कोई पालना नहीं की गई है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड कय करना चाहता है अथवा पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के 25/–की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/– जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है तथा पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में कांट–छांट की गई है। आवेदन कर्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता जुहारसिंह है, और सरपंच ने पर्बतसिंह पुत्र जुहारसिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण करना बताया है। नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति नियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में अंकित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है। मगर मौका रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का कितने वर्षो से कब्जा है और कितना वर्ग फीट पर कब्जा है, इसका अंकन मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया गया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थल पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थन पर चस्पा की गई है उसका अंकन नहीं किया गया है। नोटिस पर कांछ–छांट की गयी है। यह पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम 157(1)(ख) के तहत जारी करना बताया है। इस नियम के तहत 50 वर्ष के दौरान पुराने मकान हेतु 200/–लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। मगर इस मामले में मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निर्मित मकान होना और पुराना होना नहीं बताया है। ग्राम पंचायत की क़ार्यवाही विवरण में भी मकान बना हुआ है अथवा नहीं, मकान बने हुए है तो कब से, कितनी भूमि खाली छोड़ी गई है, कितने माप का पटटा जारी किया जा रहा है। कितना Carpet area है, का कोई कथन विवरण तक उल्लेखित नहीं है। आवेदक अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह ज्ञात हो सके कि आवेदक कब एंव किन परिस्थितियों में भूखण्ड या मकान पर Lawful possession में आये है। ग्राम पंचायत द्वारा भी स्वतंत्र रूप से ऐसा सत्यापन भी नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 06 ने अपने जवाब एंव बहस में ग्राम सिवाना की आबादी भूमि में तुलछाराम पत्र पूनमाराम पिसरान देवाराम जाति सुथार निवासी सिवाना के नाम से ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा दिनांक 9.7.1964 को को विक्रय विलेख 5711.12 वर्ग फीट का जारी करना और उस पर प्रार्थीगण का कब्जा होना बताया है। तथा इस पर अप्रार्थीगण के नाम 13131 व वर्ग फीट का गलत पट्टा जारी होना और अपने पिता भोमसिंह का स्वर्गवास पट्टा जारी होने से पूर्व 1985 में होना बताया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी भंवरसिंह द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से पटवारी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हल्का ने भोमसिंह का दो माह पूर्व देंहात होने से उसके खाते की भूमि का उसके वारिशान के नामान्तरकरण पारित करने की दिनांक 01.080.86 टिप्पणी अंकित कर नामान्तरकरण संख 766 पारित किया गया है। इस दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पट्टाधारी भोमसिंह की मृत्यु पट्टा जारी करने के पूर्व 15 वर्ष पहले वर्ष 1986 में हो चुकी थी। कानूनन मरे हुए व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो अकृत्य(Nullity)है। अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एंव पटट्ा जारी करने की तारीख को अप्रार्थी संख्या 06 के पिता भोमसिंह जीवित नहीं थे। अतःवर्ष 1999 में मृतक भोमसिंह का कोई Legal Status विधमान नहीं था ग्राम पंचायत की पत्रावली की अवलोकन से अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा के उतर दक्षिण में 65X7 फीट का पट्टा जारी करना प्रकट होता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एंव ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की लोकेशन भी स्पष्ट प्रतीत नहीं होती हैं। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व इस सम्बन्ध में जॉच नहीं की है और नियम 145 से 157 की पूर्ण पालना नहीं की गई है एंव निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना एंव जॉच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 04 के पिता जुहारसिंह,धनसिंह एंव भोमसिंह के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो खारिज करने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 एंव 06 के पिता के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 21 दिनांक 24.10.99 को खारिज किया जाता है और मामला सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त ओबजरवेशन को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 में अंकित प्रकिया को अपनाते हुए बाद जॉच मामले में नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर